# कार्यालय आयुक्त

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक. 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, Fax – 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / 109 / प्रयास / 2019–20 / 10733 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24 / 02 / 2020

**–:संक्षिप्त विज्ञप्ति सूचना:–**

**प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, जशपुर, कोरबा एवं कांकेर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2020–21**

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2020–21 से 2023–24 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 09वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं के शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल हेतु आयोजित जे.ई.ई. (मेन्स / एडवांस), नीट, एम्स, एनडीए आदि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराए जाने की योजना है।

इसके अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के लिए संस्थावार पृथक–पृथक "रूचि की अभिव्यक्ति" प्रस्तााव आमंत्रित है :– एक संस्था को अधिकतम 02 विद्यालयों हेतु चयन किया जा सकेगा।

| क | प्रयास विद्यालयों के नाम | विद्यार्थियों की प्रस्तावित संख्या (परिवर्तनीय) | प्रस्ताव जहां जमा करना है उस कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर | 200 | कार्यालय आयुक्त<br>आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास<br>इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर |
| 2. | प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर | 150 | |
| 3. | प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग | 125 | |
| 4. | प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर | 125 | |
| 5 | प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर | 100 | कार्यालय आयुक्त<br>आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास<br>इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर |
| 6 | प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय बस्तर | 100 | |
| 7 | प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर | 100 | |
| 8 | प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा | 100 | |
| 9 | प्रयास बालक / कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर | 100 | |

1. प्री.बीड मिटिंग (आवेदक संस्थाओं) के संचालक/प्रतिनिधियों के साथ – 13/03/2020 अपरान्ह 2.00 बजे
2. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 28 /03/2020, सायं 5.00 बजे तक
3. निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना – 30/03/2020, प्रातः 11.00 बजे
4. पात्र पाई गई सस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन (प्रजेन्टेशन) – पृथक से सूचित किया जायेगा।

**तकनीकी मूल्यांकन तथा प्रजेन्टेशन के पश्चात् शेष कार्यवाही की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पात्र पायी गई आवेदक संस्थाओं को पृथक से दी जायेगी।** प्रत्येक संस्थाओं के लिए पृथक–पृथक आवेदन एवं प्रस्ताव सारणी के सरल क्रमांक 4 में उल्लेखित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा एवं जिस विद्यालय के लिए प्रस्ताव है उसका नाम लिफाफे के उपर लिखना होगा। लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय लिफाफा को खोलने की सूचना पृथक से दी जाएगी। आवेदन स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। विस्तृत जानकारी तथा नियमावली हेतु विभागीय वेबसाईट www. tribal.cg.gov.in का अवलोकन कर सकते है।

**(मुकेश कुमार बंसल)**
**आयुक्त**
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

# कार्यालय आयुक्त

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक. 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
**Website - tribal.cg.gov.in ☎ - 2263708, Fax – 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in**

क्रमांक/108/प्रयास/2019–20/10733-A नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24/02/2020

**प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, जशपुर, कोरबा एवं कांकेर में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण वर्ष 2020–21**

1. **योजना का उददेश्य :–** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2020–21 से 2023–24 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 09वीं, 10वीं, 11वीं, एवं 12वी के शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर तथा राज्य की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल हेतु आयोजित जे.ई.ई. (मेन्स/एडवांस), नीट, एम्स, एनडीए आदि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराए जाने की योजना है। जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे चलकर अखिल भारतीय संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सके। इस हेतु आपको विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं एवं 10वीं स्तर पर होने वाली परीक्षा जैसे एन.टी.एस.सी./गणित, विज्ञान, ओल्पियाड, विज्ञान पहेली इत्यादि परीक्षाओं में भी शामिल कराना है अतः इस हेतु आवश्यक तैयारी/कोचिंग का कार्य सम्पादित किया जाना है।
2. **योजना संचालन का मोड :–** इसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल, मूल्यांकन आदि हेतु टेस्ट की व्यवस्था ऑउट सोर्स से चयनित निजी कोचिंग सस्थाओं को उपलब्ध कराना होगा।

**विद्यालय का नाम जिसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित है :–**

| क | प्रयास विद्यालय का नाम | विद्यार्थियों की प्रस्तावित संख्या (परिवर्तनीय) | प्रस्ताव जहां जमा करना है उस कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर | 200 | कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती |
| 2. | प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर | 150 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग | 125 | भवन, अटल नगर रायपुर |
| 4. | प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर | 125 | |
| 5 | प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर | 100 | |
| 6 | प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय बस्तर | 100 | |
| 7 | प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर | 100 | |
| 8 | प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा | 100 | |
| 9 | प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर | 100 | |

1. **प्री.बीड मिटिंग (आवेदक संस्थाओं) के संचालक/प्रतिनिधियों के साथ – 13/03/2020 अपरान्ह 2.00 बजे**
2. **निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 28 /03/2020, सायं 5.00 बजे तक**
3. **निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना – 30/03/2020, प्रातः 11.00 बजे**
4. **पात्र पाई गई संस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन (प्रजेन्टेशन) – पृथक से सूचित किया जायेगा।**

**तकनीकी मूल्यांकन एवं प्रजेन्टेशन के के पश्चात् शेष कार्यवाही की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पात्र पायी गई आवेदक संस्थाओं को पृथक से दी जायेगी।** प्रत्येक संस्थाओं के लिए पृथक–पृथक आवेदन एवं प्रस्ताव सारणी के सरल क्रमांक 4 में उल्लेखित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा एवं जिस विद्यालय के लिए प्रस्ताव है उसका नाम लिफाफे के उपर लिखना होगा। लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय लिफाफा को खोलने की सूचना पृथक से दी जाएगी। आवेदन स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि

एवं समय तक कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। शासन स्तर पर मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास विद्यालय हेतु नियमावली 2019 में संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से स्वीकृत अनुरूप योजना नियमावली 2019 के नियम मान्य होंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www. tribal.cg.gov.in का अवलोकन कर सकते है।

1. **अनुबंध की अवधि :–** 04 वर्ष। वर्ष 2020–21 से 2023–24 कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्यापन एवं कोचिंग हेतु निर्धारित है।
2. **कक्षा का आकार :– रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में** अधिकतम 50 विद्यार्थियों पर एक सेक्शन होगा। अन्य स्थानों पर अधिकतम 40 विद्यार्थियों का एक सेक्शन होगा।
3. **अध्यापन की अवधि :–** बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग तथा डॉउट क्लास को मिलाकर प्रतिदिन न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन कराना होगा।

4. उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों की अनिवार्य योग्यताएं :–

(अ) कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु :–

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उतकृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है अतः उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (teaching/ coaching faculty) की शैक्षणिक पृष्ठ भूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए।

| क. | विषय | शिक्षकों की न्यूनतम संख्या | अनिवार्य योग्यता |
|---|---|---|---|
| 1. | गणित | 02 | 1. किसी भी शासकीय आई.आई.टी/एन.आई.टी. से बी. टेक अथवा अन्य संस्थाओ से एम.टेक. होना चाहिए। संबंधित विषय में कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव होना भी होना चाहिए।<br>2. किसी भी शासकीय संस्था से गणित विषय में स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा बी.एड. की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव |
| 02 | विज्ञान | 02 | 1. किसी भी संस्था से एम.बी.बी.एस./एम.डी.एस. अथवा अन्य शासकीय संस्था से संबंधित विषय में एम. एस.सी. प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहितए। साथ ही कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव भी होनी चाहिए।<br>2. किसी भी शासकीय संस्था से भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव |
| 03 | हिन्दी | 01 | किसी भी शासकीय संस्था से हिन्दी विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि एवं बी.एड. की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव |
| 04 | अंग्रेजी | 01 | किसी भी शासकीय संस्था से अंग्रेजी विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव |
| 5. | संस्कृत | 01 | किसी भी शासकीय संस्था से संस्कृत विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि एवं बी.एड. की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव |
| 6 | सामाजिक विज्ञान | 02 | किसी भी शासकीय संस्था से सामाजिक विज्ञान विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि (जिसमें एक इतिहास में तथा दूसरा भूगोल विषय का हो) के साथ बी.एड. की योग्यता रखता हो एवं संबंधित विषय में कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव |
| 7 | मनोवैज्ञानिक/ कैरियर काउंसलर | 01 | भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उपाधि। किसी संस्था/फर्म में कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। |

**(ब) कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतुः–**

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उतकृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है अतः उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (teaching/ coaching faculty) की शैक्षणिक पृष्ठ भूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए।

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विषय</th><th>शिक्षकों की न्यूनतम संख्या</th><th>अनिवार्य योग्यता</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>गणित</td><td>02</td><td rowspan="3">1. प्रथम शिक्षक – भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT / NIT) से बी. टेक उपाधि एवं प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।<br>2. द्वितीय शिक्षक – संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। UGC– NET/ JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में 01 वर्ष की शिथिलता दी जा सकेगी।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>भौतिक शास्त्र</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>रसायन शास्त्र</td><td>02</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जीव विज्ञान</td><td>01</td><td rowspan="2">1. प्रथम शिक्षक – भारत में स्थित मेडिकल/डेंटल कॉलेज से न्यूनतम एमबीबीएस/एमडीएस उपाधि एवं प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव हो अनिवार्य रूप से होना चाहिए।<br>2. द्वितीय शिक्षक – संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नात्कोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। UGC– NET/ JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में 01 वर्ष की शिथिलता दी जा सकेगी।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>01</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>हिन्दी</td><td>01</td><td>संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। UGC– NET/ JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अंग्रेजी</td><td>01</td><td>संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। UGC– NET/ JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।</td></tr>
<tr><td>08</td><td>मनोवैज्ञानिक/ कैरियर काउंसलर</td><td>01</td><td>भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उपाधि। किसी संस्था/फर्म में कम से कम 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।</td></tr>
</table>

उपरोक्तानुसार शिक्षको की अनिवार्य योग्यता को शिथिल करने के संबंध में आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर संक्षम होंगे।

5. **रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :–**

i. इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्तें, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते हैं। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपयें 2000/– का राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

ii. इच्छुक कोचिंग संस्थाएं तीन बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इच्छुक फर्म एक से अधिक संस्थाओं के लिए आवेदन कर सकते है। उन्हें प्रत्येक संस्था के लिए अलग–अलग अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर देना होगा तथा एक से अधिक प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक संस्था के लिए उल्लेखित योग्यता के शिक्षकों का पृथक–पृथक Panel प्रस्तुत करना होगा।

iii. **आवेदन पत्र का भाग–एक, प्रथम लिफाफा (न्यूनतम अर्हता संबंधी)**। इसमें वर्णित अनिवार्य अभिलेखों के साथ–साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि रूपये 2000/–(नान रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट सहित लिफाफा क्रमांक–01 में सील बंद करना होगा।

iv. **आवेदन पत्र का भाग–दो ( तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा )** इसके अंतर्गत क्रमांक दो–1 से दो–5 तक की जानकारी के साथ पृथक से लिफाफा क्रमांक–02 में रखकर सीलबंद किया जाना चाहिए।

v. **आवेदन पत्र का भाग–तीन (वित्तीय प्रस्ताव)** इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) का लिफाफा को सील बंद करना होगा।

इसके पश्चात् तीनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होगें। आवेदक जिस संस्था हेतु आवेदन कर रहा है, लिफाफा के उपरी भाग पर उस संस्था का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के अभिलेखो के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील और हस्ताक्षर होना चाहिए।

vi. सर्वप्रथम सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक–01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्याकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म को पृथक से सूचित किया जाएगा।

vii. आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें।

6. **प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रकिया :–** प्राप्त प्रस्ताावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रकिया (**Quality Cum Cost Based System** ) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :–

पहला भाग (A) तकनीकी मूल्याकंन (B) वित्तीय मूल्याकंन

**6.1 तकनीकी मूल्यांकन :–** न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा।

(i) संस्था/फर्म के अनुभव एवं कार्य की उपलब्धियों पर 100 अंक निर्धारित है जिसका मूल्याकंन निम्नलिखित मानको के आधार पर किया जायेगा –

| क्र. | विवरण | निर्धारित अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| 1 | संस्था द्वारा संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो (न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होने पर 10 अंक तथा उससे अधिक अनुभव हेतु प्रत्येक 01 वर्ष पर 01 अंक देय होगा) | 20 |
| 2 | संस्था का विगत 3 वर्षो के प्रतियोगी परीक्षा का औसत परिणाम आई.आई.टी., एन.आई.टी, एम.बी. बी.एस में प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या न्यूनतम 25 होने पर 05 अंक इससे अधिक प्रत्येक 05 परिणामों पर 02 अंक देय होगा) | 20 |
| 3 | योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति | 40 |
| 4. | टर्न ओवर (न्यूनतम 50 लाख प्रतिवर्ष पर 10 अंक उससे अधिक प्रत्येक 10 लाख पर 02 अंक देय होगा) | 20 |
| | **योग :–** | **100** |

**तकनीकी मूल्यांकन** पर **कुल – 100 अंक**

**(ii) तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण** – तकनीकी मूल्यांकन के कुल 100 अंक में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाली संस्थाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। संस्थाओ की संख्या 03 से कम होने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत की अनिवार्यतः नहीं होगी।

**6.2 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :–** वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कोचिंग संस्था द्वारा कक्षा 9वीं–10वीं तथा 11वीं–12वीं हेतु निविदा प्रपत्र में उल्लेखित दर के औसत के आधार पर निम्नाकिंत सूत्र पर आधारित होगा :–

**EF = 100 × FM/F**

यहां पर EF का अर्थ होगा वित्तीय अंक, FM का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गये मूल्य से है।

**6.3 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण** :– प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (ET) का 60 प्रतिशत अधिभार तथा वित्तीय अंक (EF) का 40 प्रतिशत अधिभार देते हुए दोनो का जोड़कर अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा।

तकनीकी निविदा हेतु अन्य मानक तय करने/अधिभार में परिवर्तन करने के लिए आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

**7. कोचिंग संस्था के दायित्व :–**

i. निर्धारित योग्यता के ही शिक्षक/फैकल्टी उपलब्ध कराना होगा अन्यथा प्रस्ताव अमान्य किया जा सकता है

ii. विद्यार्थियों एवं प्रशासकीय अधिकारी की फीड बैक में यदि विषय शिक्षक का अध्यापन शिक्षक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार प्रभारी अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर के अनुमति से उसी योग्यता का शिक्षक एक सप्ताह में परिवर्तन करना होगा।

iii. कोचिंग संस्था द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुमति से 20 प्रतिशत शिक्षकों को प्रतिवर्ष बदला जा सकता है। परन्तु इसके लिए उसी योग्यता के शिक्षक रखना होगा। इससे अधिक की अनुमति हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर सक्षम होंगे।

iv. अध्यापन की न्यूनतम अवधि 8 घंटे होगी। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न अनुरूप अध्यापन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 2 घण्टे का डाउट क्लीयरिंग क्लास भी आयोजित करना होगा।

v. विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा।

vi. कोचिंग संस्था को साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, त्रैमासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक टेस्ट तथा वार्षिक बोर्ड के बाद अंतिम परीक्षा तक कोचिंग प्रदान करना होगा।

vii. कोचिंग सस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट/प्रैक्टिस पेपर एवं ऑन–लाईन प्रींटिग एवं अवलोकन टेस्ट लिया जा कर मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

viii. विद्यालय के गरिमा के अनुरूप विशेष शिक्षको द्वारा अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा।

ix. विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विषय शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था की होगी।

x. कोचिंग संस्था द्वारा अध्यापन कराया जा रहे विद्यार्थियों का विभाग द्वारा बाह्य मूल्यांकन करवाया जा सकता है। जिससे कोचिंग संस्था द्वारा की जा रही कोंचिग/अध्यापन की दक्षता का मूल्यांकन हो सके। इसके आधार पर किश्तों के भुगतान करने का निर्णय प्रशासकीय अधिकारी/सहायक आयुक्त द्वारा लिया जा सकेगा।

xi. कोचिंग संस्था को प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के साथ मिलकर टाईम टेबल एवं कार्ययोजना बनाया जाकर पालन किया जाना होगा।

xii. कोचिंग संस्था को फैकल्टी के लिए विद्यालय के बोहर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

xiii. अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैपटर वाईस (कक्षा 9वी एवं 10वीं) के विगत 10 वर्षो के प्रश्न–पत्रों (जैसे एन.टी.एस.सी./गणित, विज्ञान, ऑलमपीयाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि) प्रवेश परीक्षाओं से प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यूनतम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी अवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।

xiv. समस्त करों के भुगतान का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का हागा।

8. **राशि का भुगतान :–** राशि का भुगतान 02 चरणों में होगा।

**(अ) कक्षा 09/10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु**

चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को कक्षा 9वीं–10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु स्वीकृत निविदा राशि का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान स्वीकृत सीट संख्या के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अनुबंध अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अगस्त एवं जनवरी माह में 04 समान किस्तों में किया जाएगा। किस्तों का भुगतान संस्था के प्राचार्य, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त की अनुसंशा के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् किया जाएगा। जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम किश्त के निराकरण के समय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर के अनुमोदन से किया जाएगा।

**(ब) कक्षा 11/12 वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु**

चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को कक्षा 11वीं–12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु स्वीकृत निविदा राशि का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान स्वीकृत सीट संख्या के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अनुबंध अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अगस्त एवं जनवरी माह में 04 समान किस्तों में किया जाएगा। किस्तों का भुगतान संस्था के प्राचार्य, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त की अनुसंशा के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् किया जाएगा। जबकि अंतिम/शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

विभाग द्वारा अनुमोदित प्रति विद्यार्थी अध्यापन सह कोचिंग दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शुल्क (सर्विस चार्ज) इत्यादि का भुगतान पृथक से नहीं किया जाएगा। फर्म को नियमानुसार आयकर कटौती उपरांत किस्त की राशि देय होगी।

9. **अंतिम किश्त का निराकरण :–** आउटसोर्स से अनुबंधित/चयनित कोचिंग संस्था के अंतिम किश्त कक्षा 09–10वीं के अध्यापन एवं कोचिंग की 20 प्रतिशत राशि तथा कक्षा 11वीं–12वीं के अध्यापन एवं कोचिंग हेतु शेष 20 प्रतिशत की राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा –

i. कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का वार्षिक/बोर्ड परीक्षा परिणाम 95 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों में से आईआईटी एवं एन.आई.टी. में 10 प्रतिशत एवं नीट, एम्स के माध्यम से 10 प्रतिशत विद्यार्थी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित होने पर अंतिम किस्त की सम्पूर्ण राशि देय होगी।

ii. कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का वार्षिक/बोर्ड परीक्षा परिणाम 95 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों में से आईआईटी एवं एन.आई.टी. में 10 प्रतिशत एवं नीट, एम्स के माध्यम से 07 प्रतिशत विद्यार्थी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित होने पर अंतिम किस्त की 80 प्रतिशत राशि देय होगी।

iii. कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का वार्षिक/बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों में से आईआईटी, एन.आई.टी. एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 25 प्रतिशत तथा नीट, एम्स के माध्यम से 10 प्रतिशत विद्यार्थी चिकित्सा महाविद्यालयों में एवं 35 प्रतिशत विद्यार्थी अन्य कोर्स जैसे बी.डी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एस.सी.(कृषि), बी.फार्मा, वेटनरी तथा एन.डी.ए. इत्यादि में प्रवेशित होने पर अंतिम किस्त की 70 प्रतिशत राशि देय होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर परीक्षा परिणाम न आने की स्थिति में अंतिम किस्त की सम्पूर्ण राशि देय नहीं होगी। राशि के भुगतान के संबंध में अनुबंध एवं संशोधित नियमावली 2019 में उल्लेखित शर्तो का भी पालन करना होगा।

10. चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था के अध्यापन एवं कोचिंग का मुल्यांकन कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक स्थानीय एवं बोर्ड परीक्षाओं तथा उस स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राप्त परिणाम के आधार पर मुल्यांकन पश्चात् संतोषप्रद पाये जाने पर ही संबंधित संस्था को कक्षा 11वीं एवं 12वीं अध्यापन एवं कोचिंग हेतु कार्यादेश दिया जायेगा। इस स्तर पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने पर अन्य चयनित कोचिंग संस्थाओं में से सहमति के आधार पर कलेक्टर की अनुसंशा पर (आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास) कार्यादेश दिया जा सकेगा।

11. **कोचिंग संस्था का भुगतान :–** मुख्य मंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वर्ष 2019 शासन स्तर पर विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। अतः रूचि की अभियक्ति शासन द्वारा स्वीकृति अनुसार संशोधित नियमावली 2019 के अध्याधीन होगी।

**(मुकेश कुमार बंसल)**
**आयुक्त**
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

**प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, जशपुर, कोरबा एवं कांकेर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2020–21**

**हेतु आवेदन पत्र**

**(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक .......... दिनांक .................. के संदर्भ में)**

**भाग–एक (प्रथम लिफाफा)**

**(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)**

| क्र. | विवरण | संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे |
|---|---|---|
| 1. | कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। | |
| 2. | संस्था का पेन (PAN), टेन (TAN) एवं जी.एस.टी. नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। | |
| 3. | (I) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो का प्रति वर्ष का टर्न ओव्हर **50.00 लाख** से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओव्हर में संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक संकिया से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 02 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र हो जिसमें विगत तीनों वर्षो के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक–पृथक उल्लेख हो।<br>(II) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो के व्यवसाय का पिछले दो वर्ष में जमा किये गये सर्विस टेक्स का विवरण। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। | |
| 4. | सुरक्षा निधि के रूप में रू **03.00 लाख** का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 04 वर्ष की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मुख्यालय, अटल नगर रायपुर के पक्ष में हो, संलग्न होना चाहिए। | |

<u>टीप :–</u> उपरोक्त अभिलेखों की सत्यता के प्रमाणीकरण का दायित्व संबंधित (आवेदक) कोचिंग संस्था का होगा। इस हेतु नोटरीकृत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

# भाग–दो–01

## (संस्था का सामान्य परिचय–पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम : .................................................

(ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : .................................................

: .................................................

(स) दूरभाष (कोड सहित) : .................................................

(द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम

एवं पता/मोबाईल नम्बर : .................................................

2. कोचिंग संस्था किस समिति/फर्म/कम्पनी के अंतर्गत संचालित है :–

(अ) समिति/फर्म/कम्पनी का नाम : .................................................

: .................................................

(ब) समिति/फर्म/कम्पनी के कार्यालय

का पूर्ण पता : .................................................

: .................................................

(स) दूरभाष (कोड सहित) तथा

अधिकृत मोबाईल नम्बर : .................................................

(द) फर्म द्वारा किन–किन स्थानों पर : .................................................

कोचिंग संस्थाएं का संचालन किया जा रहा है: .................................................

3. (अ) समिति/फर्म/कम्पनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है: .................................

(ब) समिति/फर्म/कम्पनी का जीवित पंजीयन क्रमांक

एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति : .................................

(स) समिति/फर्म/कम्पनी का वैद्यता दिनांक : .................................

(द) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ...................

(इ) समिति/फर्म/कम्पनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ...................

(प) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनिंग बॉडी के अध्यक्ष, : .................................

4. क्या कोचिंग संस्था फ्रेन्चायजी है? यदि हां तो मूल कोचिंग संस्था का फ्रेन्चायजी अधिकार पत्र एवं अनुबंध आदि अभिलेख प्रस्तुत किया जावे एवं फ्रेन्चायजी संस्था अपना आडिट रिपोर्ट/पैन/टैन प्रस्तुत करेगा।

## भाग–दो–02

(कोचिंग संस्था के फैक्लटी, जिनके द्वारा प्रयास विद्यालय में अध्यापन कार्य किया जाएगा)

1. (अ) फैकल्टी का विवरण :– सभी का बायोडाटा संलग्न होना चाहिए।

| क्र. | शिक्षक का नाम | योग्यता | स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण किये संस्था का नाम/यूजीसी–नेट | उत्तीर्ण करने का वर्ष | प्रतिशत /ग्रेड | अनुभव | किस कक्षा का अध्यापन करते हैं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(ब) फैकल्टी का विवरण :– सभी का बायोडाटा संलग्न होना चाहिए।

| क्र. | शिक्षक का नाम | योग्यता | स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण किये संस्था का नाम/यूजीसी–नेट | उत्तीर्ण करने का वर्ष | प्रतिशत /ग्रेड | अनुभव | किस कक्षा का अध्यापन करते हैं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(स) कोचिंग संस्था द्वारा प्रयास विद्यालय में दिए जाने वाले गैर शिक्षकीय अमले तथा अन्य स्टॉफ जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यालय सहायक की जानकारी :–

1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

(द) प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :–

1. इन्चार्ज का नाम : ..............................................................
2. शैक्षणिक अर्हता : ..............................................................
3. अनुभव : ..............................................................

# <u>भाग–दो–03</u>

## (कोचिंग संस्था की सफलता की जानकारी)

1. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण (पिछले 03 वर्षों की जानकारी दी जावें।)

| क्र. | प्रतियोगी परीक्षा का नाम | शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या | | | | अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या | | | | सफलता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अ.जा. | अ.ज.जा. | अन्य | योग | अ.जा. | अ.ज.जा. | अन्य | योग | |
| 1 | जे.ई.ई. मेन | | | | | | | | | |
| 2 | जे.ई.ई. एडवांस | | | | | | | | | |
| 3 | ए.आई. पी.एम.टी. / नीट | | | | | | | | | |
| 4 | एम्स | | | | | | | | | |
| 5 | सीए / सीपीटी / सीएस | | | | | | | | | |
| 6 | एनटीएससी / विज्ञान पहेली / ओलंपीयाड | | | | | | | | | |
| 7 | अन्य परीक्षाएं | | | | | | | | | |

**टीप** :– प्रत्येक परीक्षावार अंतिम चयनित विद्यार्थियों का नाम, रोल नम्बर, मोबाईल नंबर सहित प्रमाणित सूची संलग्न किया जावे।

2. राज्य स्तरीय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण :–

| क्र. | प्रतियोगी परीक्षा का नाम | शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या | | | | अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या | | | | सफलता का प्रतिषत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अ.जा. | अ.ज.जा. | अन्य | योग | अ.जा. | अ.ज.जा. | अन्य | योग | |
| 1 | जे.ई.ई. मेन्स | | | | | | | | | |
| 2 | जे.ई.ई. एडवांस | | | | | | | | | |
| 3 | पी.एम.टी. / नीट | | | | | | | | | |
| 4 | बी.ए.एम.एस. | | | | | | | | | |
| 5 | वेटनरी | | | | | | | | | |
| 6 | फिजियोथेरेपी | | | | | | | | | |
| 7 | एग्रीकल्चर | | | | | | | | | |
| 8 | अन्य | | | | | | | | | |

## भाग–दो–04

## (योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति)

**इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रस्तुत की जावे :–**

1. अध्यापन की रणनीति (कालखंडों की संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम की प्राथमिकता, शैक्षणिक कलेण्डर, इकाई मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी आदि जो आवष्यक हो)।
2. उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री की एक प्रति।
3. उत्कृष्ट शिक्षकों / फैकेल्टी को पूरे वर्ष नियोजित करने / रखने संबंधी आश्वासन।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु मल्टीमिडिया की व्यवस्था।

## भाग–दो–05

## (घोषणा / सहमति पत्र)

## संस्था / फर्म / कम्पनी संचालक की घोषणा

मैं ........................................................पद ................................कोचिंग संस्था की ओर से प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैने वर्ष 2020–21 के लिए प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत समस्त शर्तों एवं प्रावधानो का अध्ययन कर, समझकर एवं संतुष्ट होकर प्रयास आवासीय विद्यालय बालक / बालिका (सही पर टिक करें) रायपुर हेतु आवेदन किया है। आवेदन पत्र के **'भाग–एक', भाग–दो(1–5) तथा भाग– तीन** में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकरी एवं विश्वास के अनुसार सही है। प्रस्ताव में दी गई जानकारी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाही हेतु मै जिम्मेदार रहूंगा।

प्रयास संचालन नियमों में यदि कोई संषोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध की शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

**दिनांक :** ...................................

**स्थान :** ...................................

**हस्ताक्षर / मोहर सहित**

**प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, जशपुर, कोरबा एवं कांकेर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2020–21**

**(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक ...........दिनांक ................. के संदर्भ में)**

**वित्तीय प्रस्ताव – भाग–तीन**

1. प्रयास संस्था का नाम
(जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है) :– ..............................................................................

| क्र. | कार्य का नाम | दर प्रति विद्यार्थी (समस्त कर सहित) अंको में एवं शब्दों में दर्शाया जाए |
|---|---|---|
| 1. | कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अध्यापन के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज(एन.टी.एस.ई.), विज्ञान पहेली, गणित, विज्ञान, ओलंपियाड, इत्यादि हेतु अध्यापन सह कोचिंग, 02 वर्ष (24 माह) हेतु | |
| 2. | कक्षा 11वीं एवं 12वीं के वार्षिक/बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं अखिल भारतीय स्तर तथा राज्य की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल यथा जे.ई.ई. (मेंस/एडवांस), नीट, एम्स, एन.डी.ए. आदि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्यापन सह कोचिंग, 02 वर्ष (24 माह) हेतु | |

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करनें हेतु सहमत हूं।

**संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर**

**(पदमुद्रा सहित)**

टीपः–

1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
2. दोनों Row में दर शब्दों एवं अंकों में लिखा जाना अनिवार्य है।
3. कोई भी कांट–छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकेगा।
4. आवेदक कोचिंग संस्था/फर्म को अपना खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड सहित देना होगा।